सत्र परीक्षण सं0–223/2015

UPJB010010632015

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं0–223/2015

सरकार बनाम 01. भूपेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र छत्तर सिंह ,
निवासी ग्राम पीठखेड़ा, थाना रजबपुर, जिला अमरोहा

02. योगेन्द्र सिंह पुत्र ओमपाल सिंह ,
निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना रजबपुर, जिला अमरोहा।

मुकदमा अपराध सं0–636/2014
धारा–420 व 272 भारतीय दण्ड संहिता व
धारा– 60 आबकारी अधिनियम
थाना–हसनपुर , जिला अमरोहा

निर्णय

मामले के तथ्य–

यह सत्र विचारणीय मुकदमा अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा के सुपुर्दगी आदेश दिनांक 14.05.2015 के उपरान्त सत्र न्यायालय में क्रमांक 223/2015 पर दर्ज होने के उपरान्त संस्थित हुआ, जो आज विचारण के पश्चात निर्णय के लिए प्रस्तुत हुआ है।

2. इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.10.2014 को मैं एस.एच.ओ. इन्द्रमणि वर्मा मय एस.एस.आई. संजय कुमार व एस.आई. मदन मोहन चतुर्वेदी व एस.आई. रमेश चन्द्र, कांस्टेबल ब्रह्मपाल सिंह, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल आशीष कुमार तथा कांस्टेबल अमर सिंह के साथ समय लगभग 13:30 बजे वास्ते देख–रेख शान्ति व्यवस्था व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में रवाना होकर थाना सेल में मामूर मय सरकारी जीप बुलैरो नं0 यू.पी.70.ए.जी.0557 मय कां0 चालक कमालुददीन के साथ जब हम लोग गस्त करते हुए ग्राम रझोआ से ग्राम सब्दलपुर को जाने वाले रास्ते पर कुछ व्यक्ति सड़क किनारे गाड़ी बोलेरो नं0 यू.के.06.1670 खड़ी करके ईख के खेत से मिलावटी शराब बनाकर गाड़ी में लाद करके कहीं जाने की तैयारी में हैं। यदि आप जल्दी करें तो मय माल के पकड़े जा सकते हैं। सूचना विश्वास करके बिना देरी किये जनता से गवाह फराहम करने का प्रयास किया गया, किन्तु बिना नाम बताये चले गये। गवाही के लिए भलाई–बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। हम पुलिस कर्मियों ने एक–दूसरे

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.07.14 16:25:10 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की जामा तलाशी देकर सुनिश्चित किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है। तत्पश्चात मुखबिर के साथ उसके बताए स्थान की ओर चले। मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि सामने खड़ी सफेद बोलेरो वही गाड़ी है और उन्हीं लोगों की है तथा मुखबिर स्वयं वहाँ से चला गया। अतः तत्काल मय हमाराही फोर्स के गाड़ी से सामने खड़ी बुलैरो जो आम के पेड़ के नीचे खड़ी थी , के पास पहुंचे तो पास खेत में खड़ी ईख में से दो व्यक्ति जरीकैन गाड़ी में लादकर गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करके भागने का प्रयास किया। तभी हम लोगों ने तुरन्त अपनी गाड़ी में से उतरकर एकदम दबिश देकर घेरकर दोनो को पकड़ना चाहा , तभी सामने की सीट से उतरकर एक व्यक्ति ईख के खेत में भाग गया, जिसका पीछा कां0 ब्रहमपाल सिंह व एस.आई. रमेश चन्द्र ने किया , लेकिन मौके का फायदा उठाकर भाग गया। ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति को समय लगभग 16:00 बजे पकड़कर नाम–पता पूछा गया। उसने अपना नाम **भूपेन्द्र उर्फ मोनू** पुत्र छत्तर सिंह, निवासी ग्राम पीठखेड़ा, थाना रजबपुर, जिला अमरोहा बताया। भागने का कारण पूछा तो बताया कि सहाब हमारे पास हरियाणा मार्का शराब है, जिसमें हम मिलावट करके उसकी तीव्रता बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक लोग खरीदते हैं तथा अधिक दाम में बिकती है। आज भी हम ईख के खेत में मिलावट करके गाड़ी में लादकर ले जाने वाले थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। दूसरे भागने वाले व्यक्ति के बारे में पूछने पर उसने उसका नाम **योगेन्द्र सिंह** पुत्र ओमपाल सिंह, निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना रजापुर, जिला अमरोहा बताया। यह भी बताया कि हम दोनों हरियाणा से यह शराब कम दाम में खरीदकर टैक्स की चोरी करते हुए धोखे से यहाँ लाते हैं तथा अच्छे दामों में बेचकर लाभ कमाते हैं। पकड़े व्यक्ति भूपेन्द्र ने बताया कि कुछ शराब ईख के खेत के अंदर रखी है तथा कुछ पेटियाँ शराब की गाड़ी में रखी हैं। मिलावट करने का सामान, यूरिया खाद एवं नौसादर भी ईख के खेत में रखा है तथा लगभग 35 लीटर रेक्टीफाइड अल्कोहल जरीकैन में गाड़ी में रखी है, जिसमें हम मिलावट कर चुके हैं। ईख में रखी शराब को मैं बरामद करा सकता हूँ। भूपेन्द्र द्वारा बताए गए स्थान पर उसे साथ लेकर पहुँचे तो मेड़ से लगभग पाँच कदम अंदर, ईख के खेत में पूर्व दिशा की ओर शराब की पेटियाँ तथा पीले रंग की दो प्लास्टिक की पन्नियाँ दिखाई दीं। भूपेन्द्र ने बताया कि यही शराब है तथा एक पन्नी में यूरिया खाद एवं दूसरी पन्नी में नौसादर है। ईख में रखी बीस पेटियाँ तथा दोनों पन्नियों को कब्जे पुलिस में लिया गया तथा हमराहीयान की मदद से ईख के खेत से बाहर निकाला गया। गाड़ी बोलेरो में रखी पेटियों एवं अल्कोहल से भरी जरीकैन को भी बाहर निकाला गया। पेटियों को गिना गया। गाड़ी के अंदर से 53 पेटियाँ बरामद हुई हैं व रेक्टीफाइड एल्कॉहल की जरीकैन बरामद हुयी। कुल बरामद 73 पेटियों में, इनमें 69 पेटियों में इम्पैक्ट ग्रेन व्हिस्की के 3312 पव्वे तथा शेष 4 पेटियों में एपिसोड व्हिस्की की 48 बोतलें भरी हुयी हैं। एक पेटी से एक बोतल तथा दो पेटियों में से तीन–तीन पव्वे बतौर नमूने के रूप में लिए गए। रेक्टीफाइड अल्कोहल की जरीकैन से लगभग एक लीटर नमूना प्लास्टिक की बोतल में लिया गया तथा यूरिया एवं नौसादर की दोनों पन्नियों से भी नमूने लिए गए। सभी नमूनों को अलग–अलग कपड़ों में रखकर सील–सर्व मोहर से सील कर नमूना मोहर तैयार किया गया। जरीकैन के ढक्कन को भी बंद कर सील–सर्व मोहर से सील किया गया। अभियुक्त भूपेन्द्र से गाड़ी के कागजात तलब किए गए, किन्तु वह प्रस्तुत नहीं कर सका और माफी माँगने लगा। अतः अभियुक्त भूपेन्द्र को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए धारा 420/272 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 60 आबकारी अधिनियम तथा धारा 207 एम.वी. एक्ट के अंतर्गत मय बरामद माल एवं गाड़ी सहित हिरासत पुलिस में लिया गया। धारा 207 एम.वी. एक्ट में सीज की गई गाड़ी की चालानी रिपोर्ट अलग से तैयार की गई। बरामद शराब की पेटियों को गाड़ी में रखते समय नौ पेटियाँ फट जाने के कारण उनमें रखे पव्वों को अलग–अलग दो प्लास्टिक के कटटो में रखकर मुँह बाँधकर सील–सर्व मोहर से सील किया गया। दोनों कट्टों में क्रमशः 240 एवं 192 पव्वे भरे हैं। सभी बरामद माल को गाड़ी में रखवाया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी की फर्द मौके पर मुझे एस.एच.ओ. द्वारा बोल–बोलकर एस.आई. श्री मदन मोहन

चतुर्वेदी से लिखवाई थी तथा फर्द का मजबून हम सबको पढ़कर सुनाई थी और हम सभी के हस्ताक्षर कराए थे।

इस लिखित सूचना पर थाना हसनपुर में दिनांक 07.10.2014 को समय 18.30 बजे मुकदमा अपराध सं०–636/2014 अंतर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272, 420 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्तगण भूपेन्द्र उर्फ मोनू व योगेन्द्र सिंह के विरुद्ध दर्ज किया गया। मामले की विवेचना की गयी तथा विवेचना के दौरान अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ मोनू के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272, 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र सं०–399/2014 दिनांकित 17.12.2014 तथा फरार अभियुक्त योगेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272, 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र सं०–399ए/2014 दिनांकित 31.01.2015 अलग से तैयार करते हुए विवेचना पूरी की गयी। इन आरोप पत्र सं0 399/2014 पर दिनांक 18.02.2015 को अपराध का संज्ञान लिया गया। दिनांक 20.07.2015 को अभियुक्तगण भूपेन्द्र उर्फ मोनू व योगेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272, 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप तय किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप का खण्डन किया और विचारण की मांग की। अभियोजन का साक्ष्य लेने के उपरान्त दिनांक 07.02.2026 को अभियुक्तगण की परीक्षा धारा 313 दं0 प्र0 सं0 , दिनांक 07.03.2026 व 20.03.2026 को अभियुक्तगण की अतिरिक्त परीक्षा 313 दं0 प्र0 सं0 की गयी। अभियुक्तगण ने घटना का खण्डन किया और स्वयं को निर्दोष बताया।

3. **<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैं</u>–**

क. मौखिक साक्ष्य

क्र0 सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रकृति
1.	पी.डब्लू. 1	सेवानिवृत्त निरीक्षक इन्द्रमणी वर्मा	वादी मुकदमा
2.	पी.डब्लू. 2	निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी	फर्द का साक्षी
3.	पी.डब्लू. 3	आरक्षी वागेश कुमार	संबंधित माल नमूना चार पुलिन्दे मय नमूना मोहर के परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में जमा करने वाला साक्षी
4.	पी.डब्लू. 4	सेवानिवृत्त निरीक्षक इन्द्रमणी वर्मा	मृत विवेचक के अभिलेखों का औपचारिक साक्षी

ख. दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	अभिलेखीय प्रपत्र
1.	प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी
2.	प्रदर्श क–2	नक्शा नजरी

3.	प्रदर्श क–3	आरोप पत्र सं0 399/2014
4.	प्रदर्श क–4	आरोप पत्र सं0 399 ए/2014
5.	प्रदर्श क–5	मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट
6.	प्रदर्श क–6	जी0 डी0 कायमी
7.		विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा , रिपोर्ट दिनांक 03.03.2015

4. **<u>अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्षियों की मुख्य परीक्षा/सुसंगत अंश क्रमवार इस प्रकार हैं–</u>**

साक्षी **पी0 डब्लू0–1 सेवानिवृत्त निरीक्षक इन्द्रमणी वर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 20.10.2022 में कथन किया है कि दिनांक 07.10.2014 को मैं थाना हसनपुर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मैं एस.एस.आई. संजय कुमार व एस.आई. मदन मोहन चतुर्वेदी व एस.आई. रमेश चन्द्र, कांस्टेबल ब्रह्मपाल सिंह, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल आशीष कुमार तथा कांस्टेबल अमर सिंह के साथ समय लगभग 13:30 बजे रपट सं0 39 वास्ते देख–रेख शान्ति व्यवस्था व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में रवाना होकर थाना सेल में मामूर मय सरकारी जीप बुलैरो मय कां0 चालक कमालुददीन के साथ जब हम लोग गस्त करते हुए ग्राम रझोआ से ग्राम सब्दलपुर को जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ व्यक्ति सड़क किनारे गाड़ी बोलेरो नं0 यू.के.06.1670 खड़ी करके ईख के खेत से मिलावटी शराब लाकर गाड़ी में लाद करके कहीं जाने की तैयारी में हैं। यदि आप जल्दी करें तो मय माल के पकड़े जा सकते हैं। सूचना विश्वास करके बिना देरी किये जनता से गवाह फराहम करने का प्रयास किया गया, किन्तु बिना नाम बताये चले गये। गवाही के लिए भलाई–बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। हम पुलिस कर्मियों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी देकर सुनिश्चित किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है। तत्पश्चात मुखबिर के साथ उसके बताए स्थान की ओर चले। मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि सामने खड़ी सफेद बोलेरो वही गाड़ी है और उन्हीं लोगों की है तथा मुखबिर स्वयं वहाँ से चला गया। अतः तत्काल मय हमाराही फोर्स के गाड़ी से सामने खड़ी बुलैरो जो आम के पेड़ के नीचे खड़ी थी , के पास पहुंचे तो पास खेत में खड़ी ईख में से दो व्यक्ति जरीकैन गाड़ी में लादकर गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करके भागने का प्रयास किया। तभी हम लोगों ने तुरन्त अपनी गाड़ी में से उतरकर एकदम दबिश देकर घेरकर दोनो को पकड़ना चाहा , तभी सामने की सीट से उतरकर एक व्यक्ति ईख के खेत में भाग गया, पीछा किया तो हाथ नहीं आया। ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति समय लगभग 16:00 बजे पकड़कर नाम–पता पूछा गया। उसने अपना नाम **भूपेन्द्र उर्फ मोनू** बताते हुए कहा कि सहाब हमारे पास हरियाणा मार्का शराब है, जिसमें हम मिलावट करके उसकी तीव्रता बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक लोग खरीदते हैं तथा अधिक दाम में बिकती है। <u>भागने वाले व्यक्ति का नाम **योगेन्द्र सिंह**</u> बताया तथा यह भी बताया कि हम दोनों हरियाणा से यह शराब कम दाम में खरीदकर टैक्स की चोरी करते हुए धोखे से यहाँ लाते हैं तथा अच्छे दामों में बेचकर लाभ कमाते हैं। पकड़े व्यक्ति भूपेन्द्र ने बताया कि कुछ शराब ईख के खेत के अंदर रखी है तथा कुछ पेटियाँ शराब की गाड़ी में रखी हैं। मिलावट करने का सामान, यूरिया खाद एवं नौसादर भी ईख के खेत में रखा है तथा लगभग 35 लीटर रेक्टीफाइड अल्कोहल जरीकैन में गाड़ी में रखी है, जिसमें हम मिलावट कर चुके हैं। पकड़े व्यक्ति को ईख के खेत में लेकर पहुंचे तो मेड़ से लगभग पाँच कदम अंदर, ईख के खेत में पूर्व दिशा की ओर शराब की पेटियाँ तथा पीले रंग की दो प्लास्टिक की पन्नियाँ बरामद हुयी। बोलेरो में रखी पेटियों एवं अल्कोहल से भरी जरीकैन को भी बाहर निकाला गया। <u>गाड़ी के अंदर से 73 पेटियाँ बरामद हुई हैं। बरामद पेटियों से 69 पेटियों में इम्पैक्ट ग्रेन व्हिस्की के 3312 पव्वे तथा शेष 4 पेटियों में एपिसोड व्हिस्की की 48 बोतलें भरी</u>

हुयी हैं। एक पेटी से एक बोतल तथा दो पेटियों में से तीन–तीन पव्वे बतौर नमूने के रूप में लिए गए। रेक्टीफाइड अल्कोहल की जरीकैन से लगभग एक लीटर नमूना प्लास्टिक की बोतल में लिया गया। जरीकैन को मौके पर सील कर सर्वे मोहर किया गया। बरामद गाड़ी के कागजात तलब किए गए, किन्तु वह प्रस्तुत नहीं कर सका। बरामद पेटियों को गाड़ी में रखा गया तथा कुछ पेटियां फट जाने के कारण पेटियों में रखे पव्वे को प्लास्टिक के कटटो में रखकर कटटों को सीलकर सर्वे मोहर किया गया। बरामद माल व गिरफतारी की फर्द मेरे साथ मौजूद एस.आई. श्री मदन मोहन चतुर्वेदी से लिखवाई थी तथा फर्द का मजबून हम सबको पढ़कर सुनाई थी और हम सभी के हस्ताक्षर कराए थे। फर्द की कार्बन प्रति अभियुक्त भूपेन्द्र को देकर उसके हस्ताक्षर कराये गये। फर्द आज पत्रावली पर मेरे सामने मौजूद है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। पहचानता हूॅ। सबित करता हूॅ। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिए थे।

साक्षी पी0 डब्लू0–2 निरीक्षक **मदन मोहन चतुर्वेदी** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 20..5.2023 में कथन किया है कि दिनांक 07.10.2014 को मैं थाना हसनपुर में एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन थाना प्रभारी इन्द्रमणी वर्मा , एस.एस.आई. संजय कुमार, एस.आई. रमेश चन्द्र, कांस्टेबल ब्रह्मपाल सिंह, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल आशीष कुमार तथा कांस्टेबल अमर सिंह के साथ समय लगभग 13:30 बजे क्षेत्र में चेकिंग एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी पर सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक कमालुददीन के साथ रवाना हुआ। ग्राम रझोआ पहुँचने पर मुखबिर से सूचना मिली कि रझोआ से सब्दलपुर को जाने वाले रास्ते पर कुछ व्यक्ति सड़क किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी सं0 यू.के.06.1670 खड़ी करके ईख के खेत से मिलावटी शराब बनाकर लादकर कहीं ले जाने की तैयारी में हैं। सूचना पर विश्वास कर हम लोग मौके पर पहुँचे। जनता से गवाह बनने का प्रयास किया गया, किन्तु भलाई–बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। हम पुलिस कर्मियों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी देकर सुनिश्चित किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है। तत्पश्चात मुखबिर के साथ उसके बताए स्थान की ओर चले। मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि सामने खड़ी सफेद बोलेरो वही गाड़ी है और स्वयं वहाँ से चला गया। हम लोग गाड़ी के पास पहुँचे तो गाड़ी के पास खेत में खड़ी ईख में से दो व्यक्ति जरीकैन गाड़ी में लादकर गाड़ी में बैठकर स्टार्ट कर जाने लगे। हमने तुरंत गाड़ी रोकने का प्रयास किया। तभी सामने की सीट से उतरकर एक व्यक्ति ईख के खेत में भाग गया, जिसका पीछा किया गया, किन्तु वह पकड़ में नहीं आया। ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति को समय लगभग 16:00 बजे पकड़कर नाम–पता पूछा गया। उसने अपना नाम भूपेन्द्र उर्फ भोनू पुत्र छत्तर सिंह, निवासी ग्राम पीठखेड़ा, थाना रजबपुर, जिला अमरोहा बताया। पूछने पर उसने बताया कि हमारे पास हरियाणा मार्का शराब है, जिसमें हम मिलावट करके उसकी तीव्रता बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक लोग खरीदते हैं तथा अधिक दाम में बिकती है। आज भी हम ईख के खेत में मिलावट करके गाड़ी में लादकर ले जाने वाले थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। दूसरे भागने वाले व्यक्ति के बारे में पूछने पर उसने उसका नाम योगेन्द्र सिंह पुत्र ओमपाल सिंह, निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना रजबपुर, जिला अमरोहा बताया। यह भी बताया कि हम दोनों हरियाणा से यह शराब कम दाम में खरीदकर टैक्स की चोरी करते हुए धोखे से यहाँ लाते हैं एवं अच्छे दामों में बेचकर लाभ कमाते हैं। भूपेन्द्र ने बताया कि कुछ शराब ईख के खेत के अंदर रखी है तथा कुछ पेटियाँ शराब की गाड़ी में रखी हैं। मिलावट करने का सामान, यूरिया खाद एवं नौसादर भी ईख के खेत में रखा है तथा लगभग 35 लीटर रेक्टीफाइड अल्कोहल जरीकैन में गाड़ी में रखा है, जिसमें हम मिलावट कर चुके हैं। भूपेन्द्र द्वारा बताए गए स्थान पर उसे साथ लेकर पहुँचे तो मेड़ से लगभग पाँच कदम अंदर, ईख के खेत में पूर्व दिशा की ओर शराब की पेटियाँ तथा पीले रंग की दो प्लास्टिक की पन्नियाँ दिखाई दीं। भूपेन्द्र ने बताया कि यही शराब है तथा एक पन्नी में यूरिया एवं दूसरी पन्नी में नौसादर है। ईख में रखी बीस पेटियाँ तथा दोनों पन्नियों को कब्जे पुलिस में लिया गया तथा ईख के खेत से बाहर निकाला गया। गाड़ी बोलेरो में रखी पेटियों एवं

अल्कोहल से भरी जरीकैन को भी बाहर निकाला गया। पेटियों को गिना गया। गाड़ी के अंदर तथा ईख के खेत से कुल 73 पेटियाँ बरामद हुईं। इनमें 69 पेटियों में इम्पैक्ट ग्रेन व्हिस्की के 3312 पव्वे तथा शेष 4 पेटियों में एपिसोड व्हिस्की की 48 बोतलें बरामद हुईं। एक पेटी से एक बोतल तथा दो पेटियों से तीन–तीन पव्वे नमूने के रूप में लिए गए। रेक्टीफाइड अल्कोहल की जरीकैन से लगभग एक लीटर नमूना प्लास्टिक की बोतल में लिया गया तथा यूरिया एवं नौसादर की दोनों पन्नियों से भी नमूने लिए गए। सभी नमूनों को अलग–अलग कपड़ों में रखकर सील–सर्व मोहर से सील कर नमूना मोहर तैयार किया गया। जरीकैन के ढक्कन को भी बंद कर सील–सर्व मोहर से सील किया गया। अभियुक्त भूपेन्द्र से गाड़ी के कागजात तलब किए गए, किन्तु वह प्रस्तुत नहीं कर सका और माफी माँगने लगा। अतः अभियुक्त भूपेन्द्र को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए धारा 420/272 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 60 आबकारी अधिनियम तथा धारा 207 एम.वी. एक्ट के अंतर्गत मय बरामद माल एवं गाड़ी सहित हिरासत पुलिस में लिया गया। धारा 207 एम.वी. एक्ट में सीज की गई गाड़ी की चालानी रिपोर्ट अलग से तैयार की गई। बरामद शराब की पेटियों को गाड़ी में रखते समय नौ पेटियाँ फट जाने के कारण उनमें रखे पव्वों को अलग–अलग दो प्लास्टिक के कट्टों में रखकर मुँह बाँधकर सील–सर्व मोहर से सील किया गया। दोनों कट्टों में क्रमशः 240 एवं 192 पव्वे भरे थे। सभी बरामद माल को गाड़ी में रखवाया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी की फर्द मौके पर एस.एच.ओ. इन्द्रमणि वर्मा ने बोल–बोलकर मुझसे लिखवाई थी तथा हम सबको पढ़कर सुनाई थी और हम सभी के हस्ताक्षर कराए थे। एक प्रति अभियुक्त भूपेन्द्र को देकर उसके हस्ताक्षर भी कराए गए। उक्त फर्द आज पत्रावली में मेरे समक्ष मौजूद है, जो मेरे लेख में है। फर्द पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पहचानता हूँ एवं साबित करता हूँ, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–9 अंकित किया जा चुका है। विवेचक महोदय ने मेरे बयान लिए थे तथा मेरी निशानदेही पर घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नज़री तैयार किया था।

साक्षी **पी0 डब्लू0–3 आरक्षी वागेश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 15.12.2025 में कथन किया है कि दिनांक 29.10.2014 को मेरी तैनाती थाना हसनपुर पर बतौर आरक्षी तैनाती थी। उस दिन मुझे थानाध्यक्ष के आदेश पर मु0अ0सं0 636/2014 अन्तर्गत धारा 420,272 भा0दं0सं0 व 60 आबकारी अधिनियम थाना हसनुपर से संबंधित माल नमूना चार पुलिन्दे मय नमूना मोहर के परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा जमा करने हेतु प्राप्त हुए थे, जिन्हें मैंने थाने से ले जाकर दिनांक 29.10.2014 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में क्रमांक सं0 7549 पर जमा कर दिया था जिसकी जमा किये गये जाने की प्राप्ति रसीद व प्रपत्र पत्रावली पर 5ख/12 मेरे सामने मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। पहचानता हूँ। साबित करता हूँ। दरोगाजी ने मेरे बयान लिए थे।

साक्षी **पी0 डब्लू0–4 सेवानिवृत्त इन्द्रमणी वर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 07.03.2026 में **द्वितीय साक्षी के रूप में** कथन किया है कि दिनांक 07.10.2014 को मैं बतौर प्रभारी निरीक्षक, थाना हसनपुर, जनपद अमरोहा पर तैनात था। इस दिन मेरे द्वारा थाना हसनपुर पर मु०अ०सं० 636/2014, अन्तर्गत धारा 420, 272 भा.दं.सं. एवं 60 आबकारी अधिनियम, बनाम भूपेन्द्र आदि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई थी। इसकी विवेचना थाने पर मेरे साथ तैनात उ०नि० सीताराम त्यागी को सुपुर्द की गई थी। उ०नि० सीताराम त्यागी मेरे साथ थाने पर काफी समय तक तैनात रहे। मैंने उनको लिखते–पढ़ते देखा है तथा उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों को भली–भाँति पहचानता हूँ। उ०नि० सीताराम त्यागी की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी जानकारी मुझे है। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 5 ख/6 (नक्शा नज़री), कागज संख्या 3 क/1 (आरोप पत्र संख्या 399/2014) तथा कागज संख्या 399 ए/2014 को देखकर साक्षी ने बताया कि ये सभी प्रपत्र उ०नि० सीताराम त्यागी के हस्तलेख में हैं तथा इन पर उनके हस्ताक्षर बने हैं। मैं उन्हें पहचानता हूँ एवं साबित करता हूँ, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–2 ता प्रदर्श क–4**

अंकित किया गया। विवेचक द्वारा की गई सी.डी. थाना प्रभारी द्वारा अग्रसारित की जाती थी। इसलिए उपरोक्त मुकदमे की विवेचना की केस डायरी मेरे द्वारा अग्रसारित की जाती थी। मेरे थाने पर मेरे साथ कांस्टेबल क्लर्क मनवीर सिंह भी तैनात रहे हैं। उपरोक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा कांस्टेबल क्लर्क मनवीर सिंह से तैयार कराई गई थी। मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या 4 क/1 से 4 क/2 तथा इसकी जी.डी. कायम कागज संख्या 5 ख/4 से 5 ख/5 के रूप में पत्रावली पर मौजूद है। इन पर मनवीर सिंह के भी हस्ताक्षर हैं, जिन्हें मैं पहचानता हूँ एवं साबित करता हूँ। इन दोनों पर क्रमशः **प्रदर्श क–5 एवं प्रदर्श क–6** अंकित किया गया।

5. <u>बहस/अधिवक्ताओं के तर्क–</u>

बहस का आरम्भ करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कहा गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत हुए साक्षी पी0 डब्लू0–01 इन्द्र मणी वर्मा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना हसनपुर व पी0 डब्लू0–02 मदन मोहन चतुर्वेदी तत्कालीन उ0 नि0 के द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्त भूपेन्द्र को माल सहित पकड़ा था , जिसने भागने वाले अभियुक्त का नाम योगेन्द्र बताया था। पी0 डब्लू0–04 ने द्वितीय साक्षी के रूप में विवेचना के द्वारा एकत्रित साक्ष्य के आधार पर मामले की पुष्टि की है। अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुयी है , इसलिए अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। विवेचक ने मिलावट के संबंध में कोई छानबीन का प्रयास नहीं किया है। माल को विचारण के समय गवाह के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्त योगेन्द्र की पहचान के संबंध में कोई पहचान परेड नहीं करायी गयी है , केवल सह–अभियुक्त के द्वारा नाम लिये जाने के आधार पर इस अभियुक्त को आरोपित किया गया है। अभियुक्त योगेन्द्र के कब्जे से कोई माल बरामद भी नहीं हुआ है। इस प्रकार मामला संदेह से युक्त है , जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं , इसलिए अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

6. <u>साक्ष्य का विश्लेषण–</u>

अभियोजन का यह आरोप है कि मौके से अभियुक्तगण भूपेन्द्र व योगेन्द्र को भारी मात्रा की शराब के साथ पुलिस के द्वारा गिरफतार किया गया था।

अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित है अथवा नासाबित , इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित 02 बिन्दु विचारणीय हैं–

01. क्या अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई ?
02. क्या बरामद शराब विक्रय के लिए थी और उसमें अपमिश्रण किया गया था ?

उक्त दोनों बिन्दुओं पर बिन्दुवार निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

<u>01.क्या अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई ?</u>

दिनांक 07.10.2014 को घटना स्थल पर पहुँचे तत्कालीन थाना प्रभारी, थाना हसनपुर, इन्द्रमणि वर्मा ने साक्षी पी0 डब्लू0 01 के रूप में अपने बयान में यह बताया है कि ग्राम रजोहा से

सब्दलपुर के लिए जाने वाले रास्ते पर ईख के खेत में मिलावटी शराब बनाकर गाड़ी में लादकर ले जाए जाने की सूचना पर जब वह अन्य साथी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुँचे तो घटनास्थल पर एक बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई देखी। पास पहुँचते ही आगे की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति भाग गया। ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। इस पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम भूपेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र छतर सिंह बताया। जिस बोलेरो कार में यह बैठा हुआ था , उस बोलेरो कार से 53 पेटियां बरामद हुयी। पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर पास ही गन्ने के खेत में जाकर तलाश करने पर खेत की मेड़ से लगभग पाँच कदम अंदर 20 पेटी शराब तथा दो पन्नियाँ यूरिया एवं नौसादर की बरामद हुईं। इस प्रकार बोलेरो गाड़ी एवं ईख के खेत से बरामद कुल 73 पेटियाँ शराब बरामद हुईं , जिनमें 69 पेटियों में इम्पैक्ट ग्रीन व्हिस्की के 3312 पव्वे तथा शेष 4 पेटियों में एपिसोड व्हिस्की की 48 बोतलें भरी हुई मिलीं। मौके पर ही नमूने के लिए बोतलें एवं पव्वे निकाले गए तथा बरामद रेक्टिफाइड एल्कोहल से भरी जरीकेन में से एक लीटर एल्कोहल नमूना के लिए लेकर जरीकेन को सील किया गया।

उपरोक्तानुसार मौके से भारी मात्रा में शराब को बरामद करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी इन्द्रमणि वर्मा के बयान के अनुसार शराब के साथ मौके से अभियुक्त भूपेन्द्र को पकड़ा गया था। अभियुक्त भूपेन्द्र जिस बोलेरो गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था, उस गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी तथा भूपेन्द्र की ही निशानदेही पर ईख के खेत के अंदर जाने पर भी भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी।

अभियुक्त पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में मुख्य रूप से यह प्रश्न पूछे गए कि मुखबिर की सूचना मिलने से पहले आप क्या कर रहे थे , चेकिंग में किसी का चालान काटा था अथवा नहीं , मुखबिर की सूचना किस स्थान पर मिली थी , सूचना मिलने के कितनी देर बाद घटना स्थल पर पहुँचे थे , थाने से रवानगी का समय जीडी में अंकित की थी अथवा नहीं , एक–दूसरे की जामा तलाशी ली गई थी अथवा नहीं , जिस गाड़ी से माल बरामद हुआ था, उसे कब्जे में लिया गया था अथवा नहीं , ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति के भागने पर उसकी तलाश की गई थी अथवा नहीं , घटना स्थल पर आम जनता के लोग आ–जा रहे थे अथवा नहीं , भागे हुए व्यक्ति का पीछा किसने किया , सभी पेटियाँ सीलबंद थीं अथवा नहीं, एल्कोहल गन्ने का बना हुआ था या किसी ओर का , हरियाणा शराब की क्वालिटी कैसी होती है , वह उत्तर प्रदेश में सस्ती बिकती है अथवा महँगी , बरामद शराब में क्या–क्या मिलाया गया था , फर्द मौके पर तैयार की गई थी अथवा नहीं , मौके पर माल सील किया गया था अथवा नहीं। यदि कोई शराब पीने वाला व्यक्ति हरियाणा से शराब लाकर पीता है तो क्या वह अपराध है अथवा नहीं।

उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर साक्षी पी.डब्लू. 01 द्वारा दिए गए हैं। कुछ बिंदुओं पर ध्यान न होना बताया गया है , जो घटना के लगभग सात वर्ष बाद बयान दिए जाने के कारण असामान्य नहीं है। उपरोक्त प्रश्नों एवं उनके उत्तरों से साक्षी पी.डब्लू. 01 द्वारा माल बरामदगी तथा माल के साथ अभियुक्त भूपेन्द्र की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए बयान किसी भी प्रकार से संदेह की दृष्टि से देखा जाने योग्य स्थिति को प्राप्त नहीं हो रहा है।

घटना स्थल पर बरामदगी एवं गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित दूसरे पुलिसकर्मी पी0 डब्लू0 02 निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी ने भी अपने बयान में बताया है कि दिनांक 07.10.2014 को वह थाना प्रभारी इन्द्रमणि वर्मा के साथ लगभग 1:30 बजे दिन क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं चेकिंग के लिए निकले थे। मुखबिर की सूचना पर घटना स्थल पर पहुँचे। पुलिस दल को देखकर बोलेरो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा व्यक्ति भाग गया तथा ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया गया। गाड़ी में तथा पकड़े गए अभियुक्त जिसने अपना नाम भूपेन्द्र बताया , की निशानदेही पर ईख के खेत से कुल 73 पेटियाँ बरामद हुईं , जिनमें से 69 पेटियों में कुल 3312 पव्वे तथा शेष 4 पेटियों में 48 बोतलें थीं। इसके अतिरिक्त एल्कोहल से भरी एक जरीकेन, यूरिया एवं नौसादर भी बरामद हुआ। जिस बोलेरो गाड़ी से माल बरामद हुआ था, उसे भी सीज किया गया। इस साक्षी के

द्वारा मौके पर फर्द लिखी गई , जो थाना इन्द्रमणि वर्मा पी0 डब्लू0 01 के द्वारा बोलकर लिखायी गयी थी।

इस साक्षी की विश्वसनीयता परखने के लिए प्रतिपरीक्षा में उससे यह प्रश्न पूछे गए कि जीडी में प्रविष्टि किसके द्वारा की गई थी , जामा तलाशी कहाँ पर ली गई थी , मुल्जिमों को कितनी दूरी से देखा गया था, उन्हें ललकारा गया था अथवा नहीं , अभियुक्त किस दिशा में भागा था , उसका पीछा किसने किया था , क्या–क्या माल बरामद हुआ था , नौसादर एवं यूरिया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं अथवा नहीं , किसान भी खेतों में यूरिया का उपयोग करते हैं , फर्द कहाँ तैयार की गई थी , अभियुक्त को अपनी गाड़ी में बैठाकर लाये थे या बरामद गाड़ी में बैठाकर लाये थे।

इस साक्षी के द्वारा उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर उसी प्रकार दिए गए हैं , जिस प्रकार घटना के कई वर्ष बाद घटना स्थल पर उपस्थित किसी सामान्य व्यक्ति से दिया जाना अपेक्षित किया जाता है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों से गवाह की मौके पर उपस्थिति या मौके से माल की बरामदगी तथा अभियुक्त भूपेन्द्र की गिरफ्तारी किसी भी प्रकार से संदेहास्पद प्रतीत नहीं हो रही है।

मौके के दोनों साक्षियों के बयानों में कोई विरोधाभास प्राप्त न होने के कारण , दोनों साक्षियों के बयान विश्वास किये जाने योग्य हैं , जिसका निष्कर्ष यह है कि मौके से लगभग 73 पेटी शराब , एल्कोहल , नौसादर तथा यूरिया दिनांक 07.10.2014 को एक बोलेरो गाड़ी से तथा उसके पास एक गन्ने के खेत से पुलिस ने बरामद की थी। माल बरामदगी के साथ अभियुक्त भूपेन्द्र को मौके से गिरफ्तार किया गया था तथा जिस बोलेरो गाड़ी में अभियुक्त भूपेन्द्र बैठा हुआ था , उसे भी पुलिस द्वारा सीज किया गया था।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि पुलिसकर्मियों के बयानों को तब तक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता , जब तक कि कोई स्वतंत्र साक्षी घटना का समर्थन न करे। इस प्रस्तुत मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी पुलिस ने नहीं लिया है , जबकि घटना दिन की थी , स्वतंत्र साक्षी लिए जा सकते थे।

बचाव पक्ष की उक्त आपत्ति के प्रकाश में विधि व्यवस्थाओं से प्राप्त मार्गदर्शन इस प्रकार है कि **माननीय उच्चतम न्यायालय ने ताहिर बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 3079** से कहा है कि पुलिस कर्मियों के बयान को केवल इस आधार पर संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि वे पुलिसकर्मी है, न ही ऐसा कोई नियम है कि स्वतन्त्र साक्षियों के बयान के समर्थन के बिना पुलिस कर्मियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। आवश्यक केवल सतर्कता के साथ बयानों के परीक्षण की है।

स्वतन्त्र साक्षी न होने के सम्बन्ध में अभियोजन का स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य है। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 3617** में कहा गया है कि सामान्यतः तब तक कोई व्यक्ति घटना से पीडित नहीं होता है तब तक वह किसी घटना का साक्षी बनना नहीं चाहता है और विचारण में गवाही देने से स्वयं को बचाने का प्रयास करता है। इस प्रकार अभियोजन का स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिपरीक्षा में ऐसी अन्य कोई विसंगति बचाव पक्ष उत्पन्न नही कर सका जो अभियोजन के साक्षीगण के बयानों की विश्वसनीयता को प्रभावित करता हो।

उपरोक्त मार्गदर्शन के अनुसार पुलिसकर्मियों का बयान केवल इसलिए अविश्वसनीय नहीं हो जाता कि वे पुलिस कर्मचारी हैं तथा पुलिसकर्मियों का बयान केवल इसलिए अग्राह्य भी नहीं हो जाता कि उनकी सन्तुष्टि के लिए कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है , आवश्यकता केवल सावधानीपूर्ण परीक्षण की है।

इस प्रस्तुत मामले में घटनास्थल गांव के बाहर ईख का खेत है , ऐसी अवस्था में आम जनता का लगातार आने जाने वाला स्थान नहीं है। 2–1 व्यक्ति के वहां से निकले भी हों तो जरूरी नहीं है कि वह गवाही करें। यही घटनास्थल गांव के बीच का रहा होता जहां बहुत सारी भीड़ इक्ट्ठा हो गयी होती या किसी विद्यालय या दुकानों के सामने का रहा होता , जहां उच्च शिक्षक या

दुकानदार मौके पर आ गये होते, वहां भी यदि कोई स्वतंत्र साक्षी बनाया न गया होता तो निश्चित रूप से यह अभियोजन की एक बड़ी कमी होती , परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं है।

इस प्रस्तुत मामले में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी भी एक ऐसी परिस्थिति है , जो पुलिसकर्मियों के बयानों की पुष्टि करने के लिए विचार में लिए जाने योग्य है। यदि कोई बरामदगी न हुई होती अथवा ऐसी बरामदगी हो , जिसे आसानी से रास्ते से , बाजार से अथवा थाने के मालखाने से प्राप्त करके साथ ले जाया जा सकता हो या जिसकी कोई लिखा पढ़ी थाने पर न हो तथा किसी व्यक्ति को पकड़कर थाने पर लाकर उस सामान को उससे बरामद दिखाया जा सकता हो , तब निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों के बयानों को विश्वास से पूर्व संतुष्टि की आवश्यकता होगी , परन्तु इस प्रस्तुत मामले में बरामदगी ऐसी किसी सामान की नहीं दिखायी गयी है , बल्कि 73 पेटी की भारी मात्रा की हरियाणा मार्का शराब बरामद दिखायी गई है, जिसे थाने से घटना स्थल पर साथ लेकर जाना पुलिसकर्मियों के लिए सम्भव नहीं है तथा अभियुक्तों को पकड़कर थाने लाकर थाने पर पड़े बिना लिखा पढ़ी वाले अतिरिक्त माल के रूप में अभियुक्तों से बरामदगी जोड़ा जाना भी सम्भव नहीं है।

केवल मौके के दो पुलिसकर्मियों को ही परीक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में विद्वान ए.डी.जी.सी का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य है कि साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की किसी संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है। यदि किसी तथ्य को साबित करने के लिए एक मात्र गवाह भी उपलब्ध है या कोई गवाह नहीं है , केवल परिस्थितियां दोष को साबित कर रही है , तब भी दोषसिद्धि की जा सकती है।

इस प्रस्तुत मामले में उपरोक्त दोनों पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त वह व्यक्ति महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता था जिसके वाहन को अभियुक्त के कब्जे से निरूद्ध किया गया था और जिसे मजिस्ट्रेट के आदेश पर वाहन स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त किया गया। वाहन स्वामी का वाहन निर्मुक्ति प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.10.2014 पत्रावली पर है , वाहन स्वामी का सुच्चा सिंह लिखा हुआ है। न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर प्रयास करते हुए विचारण के दौरान सुच्चा सिंह को साक्ष्य में तलब किया गया था। सुच्चा सिंह की मृत्यु हो जाने की पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण सुच्चा सिंह की गवाही नहीं हो सकी।

विवेचनाधिकारी की भी मृत्यु हो जाने के कारण उसकी रिपोर्ट पत्रावली पर है। विवेचक के द्वारा केस डायरी में दर्ज कार्यवाही को साबित कराने के लिए द्वितीय साक्षी पी.डब्लू. 4 तत्कालीन थाना प्रभारी को साक्ष्य में बुलाया गया जिसके द्वारा विवेचना की कार्यवाही को अवलोकित किया गया था व अग्रसारित किया गया था। द्वितीय साक्षी ने विवेचना की कार्यवाही को साबित किया है।

उपरोक्तानुसार पुलिसकर्मियों का बयान विश्वसनीय है। अभियुक्त भूपेन्द्र के कब्जे से अवैध शराब की भारी मात्रा की बरामदगी साबित है।

मौके से फरार हुए सह–अभियुक्त **योगेन्द्र सिंह** के संबंध में अभियोजन की ओर से पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अभियुक्त योगेन्द्र के द्वारा एस.सी.डी.–02 के अनुसार समर्पण किया गया था। एस.सी.डी. यह दर्शा रही है कि समर्पण के उपरान्त पहले उसे अंतरिम जमानत प्राप्त हुयी , उसके बाद उसे दिनांक 14.01.2015 को जमानत प्राप्त हो गयी। योगेन्द्र की पहचान के लिए कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गयी। मौके पर योगेन्द्र के भागने के समय योगेन्द्र का पीछा साक्षी पी.डब्लू. 2 के अनुसार उ.नि. रमेश और का. धर्मपाल के द्वारा किया गया था , परन्तु अभियोजन ने इन दोनों ही पीछा करने वाले पुलिसकर्मियों में से किसी को भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है , केवल सहअभियुक्त के द्वारा नाम लिये जाने के आधार पर इस अभियुक्त को आरोपित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त की पहचान न तो विवेचना के दौरान की गयी है और न ही न्यायालय में विचारण के दौरान पहचान करायी गयी है , न ही इस अभियुक्त के कब्जे से कोई

माल बरामद हुआ है , इसलिए अभियुक्त योगेन्द्र संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। अतः निष्कर्ष यह है कि अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ मोनू के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई है।

02. क्या बरामद शराब विक्रय के लिए थी और उसमें अपमिश्रण किया गया था ?

अभियोजन का यह आरोप है कि उक्त शराब अपमिश्रित शराब थी तथा अपमिश्रण के द्वारा उसकी तीव्रता बढ़ाकर विक्रय करने के लिए लायी गयी थी। अभियोजन की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला , आगरा के उप निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 03.03.2015 को अपने समर्थन में प्रस्तुत किया है। उक्त रिपोर्ट में व्यक्त किया गया परिणाम यह है कि भेजे गए नमूने में यूरिया एवं नौसादर (अमोनियम क्लोराइड) के परीक्षण परिणाम सकारात्मक पाये गये। एल्कोहल की मात्रा 76.4 प्रतिशत पायी गयी तथा अन्य बोतलों में भेजे गये नमूनों में एल्कोहल की मात्रा 41.5 प्रतिशत एवं 41.3 प्रतिशत पाई गई। नमूने के कागज व पॉलिथीन में यूरिया एवं नौसादर पाया गया। उक्त रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्राह्य बनाने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक को क्षेत्राधिकारी हसनपुर के द्वारा भेजा गया पत्र तथा नमूने को प्रयोगशाला ले जाकर दाखिल करने वाले पुलिसकर्मी वागेश कुमार को साक्षी पी0 डब्लू0–03 के रूप में परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी0 डब्लू0 03 ने थाना हसनपुर से नमूना प्राप्त करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दिनांक 29.10.2014 को दाखिल किये जाने का साक्ष्य दिया है।

उपरोक्तानुसार यह साबित है कि जो नमूना पुलिस के द्वारा भेजा गया , उसमें यूरिया एवं नौसादर मिले हुए थे। नमूना संबंधित थाना से ही ले जाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दाखिल किया गया था तथा इसी मुकदमे से संबंधित था , इसकी पुष्टि साक्षी पी0 डब्लू0–03 के बयान से हो रही है। साक्षी पी0 डब्लू0 03 ने अपने बयान में बताया है कि उसने थाने से नमूना प्राप्त करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दिनांक 29.10.2014 को दाखिल किया था। दिनांक 26.10.2014 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हसनपुर के द्वारा निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा के नाम से दायर किये गये पत्र में दिये गये विवरण और इसी पत्र पर प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 29.10.2014 को लगायी गयी प्राप्ति की मोहर से भी पुष्टि हो रही है कि इसी मुकदमे में बरामद हुआ माल परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस प्रकार अभियुक्त के कब्जे से मिलावटी शराब की बरामदगी साबित है।

भारी मात्रा में मिलावटी शराब की बरामदगी तथा उसके स्पष्टीकरण के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार कोई भी तथ्य धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के बयान में प्रस्तुत न किया जाना , यह साबित कर रहा है कि अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ मोनू के विरूद्ध लगाया गया अभियोजन का आरोप संदेह से परे सिद्ध है कि अभियुक्त के कब्जे विक्रय हेतु लायी गयी अपमिश्रित शराब बरामद हुयी है।

7. अंतिम निष्कर्ष–

अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ मोनू को धारा 60 आबकारी अधिनियम और धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **420** भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त के द्वारा शराब को पीने योग्य बताकर किसी व्यक्ति को शराब खरीदने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया हो , परन्तु इस मामले में अभियोजन ने ऐसा कोई व्यक्ति प्रस्तुत नहीं किया है , न ही ऐसे किसी व्यक्ति का बयान विवेचना के

दौरान लिया है , जिसको शराब बेचने का प्रयास अभियुक्त की ओर से किया गया हो , इसलिए **धारा 420 भा0 दं0 सं0 का आरोप इस मामले में साबित नहीं हो रहा है।**

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पत्रावली अपराह्न में प्रस्तुत की जाये।

दिनांक– 14.07.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा

8. दण्ड पर सुनवाई–

पत्रावली अपराह्न में प्रस्तुत हुई। दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्षों को सुना गया।

अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि प्रथम साबित हुआ अपराध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त पर परिवार की जिम्मेदारी है , इसलिए कम से कम दण्ड दिया जाये। आर्थिक स्थिति कमजोर है , इसलिए कम से कम अर्थदण्ड दिया जाये और यदि सम्भव हो तो परिवीक्षा का लाभ दिया जाये।

अभियोजन की ओर से आपत्ति करते हुए ए.डी.जी.सी. द्वारा कहा गया कि अभियुक्त शराब के धन्धे में लिप्त हैं , इसलिए कठोर दण्ड का अधिकारी है।

अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रस्तुत मामले में भारी मात्रा में हरियाणा मार्का की शराब बरामद होना और उसका मिलावटी होना साबित हुआ है , अपराध की प्रकृति के कारण अभियुक्त परीविक्षा का अधिकारी नहीं है , परन्तु अभियुक्त की किसी अन्य मामले में दोषसिद्धी या आपराधिक रिकॉर्ड अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। अभियुक्त के द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को विषैला नहीं बनाया गया है , जिसका प्रयोग आमजन करते हो , बल्कि स्वास्थ्य के लिए पहले से ही हानिकारक शराब में मिलावट करके उसे अधिक हानिकारक बनाया गया है , यह तथ्य अभियुक्त को कठोर दण्ड देने का समर्थन नहीं कर रहा है। इस समय अभियुक्त की आयु ऐसी है , जिसमें परिवार का दायित्व अभियुक्तों पर होना स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः आरोपित घटना के लिए दण्डित करना और अभियुक्त को यह अवसर देना कि वह पुनः समाज में आकर अपने दायित्वों को निभा सके , पर विचार करते हुए और सामंजस्य स्थापित करते हुए यह उचित प्रतीत हो रहा है कि धारा 272 भा0 दं0 सं0 के परन्तुक का प्रयोग करते हुए इस मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास का दण्ड न देकर, उससे कम अवधि का दण्ड दिया जाये।

अतः अभियुक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 01 वर्ष का कारावास और अर्थदण्ड का अधिकारी है। अर्थदण्ड एक्साइज डयूटी के 10 गुना या 500 रूपये जो भी अधिक होगा का निर्धारित किया जाना है। इस प्रस्तुत मामले में एक्साइज डयूटी से अवगत कराना अभियोजन की जिम्मेदारी थी , परन्तु अभियोजन ने ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है कि घटना के समय बरामद माल पर कितनी एक्साइज डयूटी बनती है , इसलिए इस मामले में 500/– रूपये अर्थदण्ड निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है तथा धारा 272 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत 07 वर्ष का कारावास और 1000/– रूपये का अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के कारावास से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है।

सत्र परीक्षण सं0–223/2015

आदेश

अभियुक्त **योगेन्द्र सिंह** को सत्र परीक्षण सं0 223/2015 एवं मुकदमा अपराध सं0 636/2014 में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा **420 व 272 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 60 आबकारी अधिनियम** के अपराध से दोषमुक्त **किया जा रहा है।**

अभियुक्त **भूपेन्द्र उर्फ मोनू** को सत्र परीक्षण सं0 223/2015 एवं मुकदमा अपराध सं0 636/2014 में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा **60 आबकारी अधिनियम** के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए **01 वर्ष के कारावास तथा 500/– रूपये अर्थदण्ड** तथा धारा **272 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए **07 वर्ष के कारावास तथा 1000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जा रहा है एवं शेष धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध दोषमुक्त किया जा रहा है।**

अर्थदण्ड अदा न करने पर **01** माह का कारावास अतिरिक्त होगा।

दोनों सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

इस अपराध के लिए पूर्व में कारागार में बितायी जा चुकी अवधि , इस दण्ड में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त **भूपेन्द्र उर्फ मोनू** के बन्ध पत्र और उनके जमानतियों के प्रतिभूपत्र दायित्वों से मुक्त किये जा रहे हैं। अभियुक्त **योगेन्द्र** के द्वारा दाखिल धारा 437 ए दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत 20,000/–रूपये का एक प्रतिभू व बन्धपत्र अपील किये जाने की अवस्था में अपीलीय न्यायालय के आदेश तक तथा अपील न किये जाने पर अपील की अवधि समाप्त होने तक प्रभाव में रहेंगे।

निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाए।

दिनांक– 14.07.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित करके सुनाया गया और हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक– 14.07.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा।